

निविदा सूचना

विषय :- वर्ष 2012-2013 के लिए डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने हेतु निविदा सूचना

इस्पात मंत्रालय वर्ष 2012-2013 के लिए दैनिक भुगतान आधार पर, जब कमी आवश्यक हो, डी एल वाई वाताकूलित/गैर वाताकूलित कारों को किराए पर लेने का इच्छुक है। उद्योग भवन के 6-7 कि.मी. के दायरे में आने वाले इच्छुक टैक्सी प्रचालक अवर सचिव (सा प्रशा), इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110107 को सम्बोधित लिफाफा जिस पर **“इस्पात मंत्रालय के लिए कारों को किराए पर लेने हेतु निविदा”** लिखा हो, 22/03/2012 को अपराह्न 11.00 बजे तक संलग्न आलुगक में सील बंद निविदा प्रेषित करें। निविदा वाला लिफाफा उद्योग भवन, नई दिल्ली के स्वागत अधिकारी के नजदीक रखे निविदा बॉक्स में डाला जाना जा सकता है। पत्राचार के माध्यम से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा के साथ वेतन एवं लेखा अधिकारी, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 25,000/- रुपए (पन्द्रह हजार रुपए मात्र) की बयाना राशि संलग्न होनी चाहिए। मंत्रालय के पास निविदा को बिना कोई कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

2. मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाने वाली कारें अच्छी हालत में होनी चाहिए और 2010 मॉडल के पहले की नहीं होनी चाहिए तथा किराए पर लिए जाने की तारीख को 35,000 कि मी से अधिक नहीं चली होनी चाहिए तथा उसमें समुचित गदियां और सहायक साजो-समान, स्टीरियों व फ्रस्ट एड बाक्स आदि लगे होने चाहिए। चालक के पास वैध ड्राईविंग लाइसेंस तथा अन्य संबंधित दस्तावेज हाने चाहिए।

3. यदि कोई फर्म किसी मंत्रालय/विभागों को पहले से ही वाहन उपलब्ध करा रही है, तो तत्संबंधी ब्यौरा पेन कार्ड की प्रति भी निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाना चाहिए।

4. निविदा को भेजते समय निम्नलिखित बातों एवं शर्तों को ध्यान में रखा जाए :-

- किराए पर ली जा वाली टैक्सी के मीटर तथा समय की शुरुआत की गणना तथा टैक्सी को छोड़ते समय किलोमीटर तथा समय की समाप्ति की गणना उद्योग भवन, नई दिल्ली से की जाएगी।
- उद्धृत दरें निविदा अवधि के लिए वैध होंगी जिसे आगे और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्णय लिया जाता है।
- ये दरें अनुलग्नक 1 पर विहित प्रारूप में ही उद्धृत होनी चाहिए अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- इस मंत्रालय में संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ड्यूटी स्लिपों द्वारा विधिवत समर्थित बिल के प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जाएगा।
- चालकों को दिल्ली/नोएडा/गाजियाबाद/गुडगांव के मार्गों से पूरी तरह से परिचित होना चाहिए तथा अच्छी वर्दी पहननी चाहिए और उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए।
- तैनात किए जाने वाले चालकों का चरित्र समुचित रूप से सत्यापित होना चाहिए तथा उनके ब्यौरे इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाने होंगे। चालक के बदले जाने के मामले में पूर्वानुमति लेना अपेक्षित होगा।
- ब्रेकडाउन की स्थिति में फर्म को सूचित किए जाने पर आधे घंटे के भीतर दूसरी कार उपलब्ध करानी होगी।
- वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मासिक आधार पर वाहना की जरूरत होगी। किसी विशिष्ट वाहनो की मासिक विशेष दर अथवा दैनिक दर पर कोई रियायत दी जाए, तो इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाए।


सुरेन्द्र कुमार गुप्ता/S. K. GUPTA  
अवर सचिव/Under Secretary  
इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi

- ix) फर्म का लैंडलाइ/मोबाइल नम्बर मंत्रालय को उपलब्ध कराएं ताकि उससे अथवा उसके प्रतिनिधि से किसी भी समय (24 घंटे) संपर्क किया जा सके । चालक के पास भी मोबाइल फोन होना अनिवार्य हैं ।
- x) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने तथा किसी अन्य पक्ष को हुई क्षति की स्थिति में सारा दायित्व फर्म का होगा ।
- xi) सामान्यतः आपूर्ति किए जाते वाले वाहन फर्म/स्वामी/साझेदार के नाम पंजीकृत होनी चाहिए ।
- xii) सफल बोली दाता से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पांच दिनों के भीतर मंत्रालय को दी जाने वाली प्रस्तावित कारणों से संबंधित पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा दस्तावेज, प्रदूषण, परमिट आदि प्रस्तुत करें ।
- xiii) सफल बोली दाता को 25,000/- रुपए (पन्द्रह हजार रुपए मात्र) बैंक ड्राफ्ट वेतन एवं लेखा अधिकारी, इस्पात मंत्रालय के पक्ष में नई दिल्ली में भुगतान जमा कराना होगा । संविदा के सफलता पूर्वक पूरा होने पर जमात राशि वापसी योग्य हैं । फर्म द्वारा चूक किए जाते अथवा असंतोषप्रद सेवा देते पर जमात राशि जब्त कर ली जाएगी ।
- xiv) किसी भी समय बिना कोई कारण बताए अगुबंध को रद्द करने/वापस लेने का अधिकार मंत्रालय के पास सुरक्षित रहेगा ।
- xv) निविदा को अवर सचिव (सा प्रशा), इस्पात मंत्रालय, कमरा सं 64, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110107 में 22/03/2012 को अपराह्न 11.30 बजे फर्म के मालिक/उसके प्रतिनिधियों में से जो भी उपस्थित होना चाहे के समक्ष खोला जाएगा ।

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता/S. K. GUPTA  
अवर सचिव/Under Secretary  
इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel  
भारत सरकार/Government of India  
नई दिल्ली/Delhi 2306 1243

**A) Daily Charges (Minimum) in Rs.**

Sl. No.	Period	Hrs.	Kms.	Tata Indica/ Maruti Wagon R Non AC	Tata Indica / Maruti Wagon R AC	Indigo / Swift Dezire AC/Non AC	Maruti Sx4 /Manza AC/Non-AC
1.	Full Day	10	100				
2.	Rate of extra per Km						
3.	Rate of extra per hrs.						

  
 सुरेन्द्र कुमार गुप्ता/S. K. GUPTA  
 अवर सचिव/Under Secretary  
 इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel  
 भारत सरकार/Govt. of India  
 नई दिल्ली/New Delhi